


५६
२३/१३

293

169

मानवीय अध्यक्ष महोदय, मोप्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर

कैम्प रीवा मोप्र० पुकार R. 3442-८१/१३



Rs.
20/-

रिलायन्स सीमेंट कंपनी प्रा०लिमि० (जो कि पूर्व में रिलायंस सीमेंटेशन प्रा०लि० के नाम से जाना जाता था।) जिसका कि रजिस्टर्ड कार्यालय एच० ब्लाक प्रथमतल धीरु भाई अंबानी नालेज सिटी, नवी मुम्बई 400 0710 महाराष्ट्र एवं स्थानीय कार्यालय साक्षी होटल के सामने एन०एच०-७, कठनी रोड मैहर जिला सतना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी श्री सत्यबीर सिंह तेंवर, जनरल मैनेजरनिगराकार/अनावेदक

बनाम

- श्री साहबलाल आत्मज श्री कोदूलाल कुर्मी उम-45 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम इटहरा तह०/थाना मैहर जिला सतना मोप्र०गैरनिगकार/आवेदक
- मोप्र० शासन जरिये तहसीलदार तह० मैहर जिला सतना मोप्र०गैरनिगकार

निगरानी खिलाफ आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल कुसेड़ी कार्यवाही सीमांकन उनके मामला क०-०१/अ१२/२०१२-१३ आदेश दिनांक 23/01/2013

कार्यवाही सीमांकन बाबत् आराजी नं०-२३०/१ रकवा 1.239 हे० एवं आराजी नं०-२४३/१ रकवा 0.021 हे० स्थित मौजा इटहरा तह० मैहर जिला सतना रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 मोप्र० भू-राजस्व संहिता 1959

क्रमशः.....2

Conwar

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 3442-II/13 जिला सतना

..... राजस्व समन्वय विभाग विरुद्ध साइबिल

| 1 | 2 | 3 |
|--------|---|---|
| 16-19- | <p>1. आवेदक की ओर से श्री २४८० क्र० अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त तहसील भुज के प्रकरण क्रमांक ०।। ३५-१२।। २।। २-१३ में पारित आदेश दिनांक २३।। ०।। १३ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। मोप्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ३०।। ०३।। १९ को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> | ✓ |

सदस्य